**भारत सरकार**

**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 37**

**05.12.2013 को उत्तर के लिए**

**'अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए पेडो़ं की अंधाधुंध कटार्इ'**

37. श्री आयनुर मंजूनाथा:

 क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के विकास के लिए बिना अनुमति पेडो़ं को अंधाधुंध काटा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार इन परियोजनाओं के लिए कितने पेड़ क़ाटे गए;

(ग) क्या पेडो़ं की इस कटार्इ की वजह से पयार्वरण पर कोर्इ प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पेडो़ं की कटार्इ पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे सुधरात्मक कदम क्या-क्या हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन )**

(क) और (ख) अवसंरचनात्‍मक परियोजनाओं के विकास के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई मंत्रालय में कोई सूचना नहीं है । तथापि, पेड़ों के काटने की छिट-पुट घटनाएं होती रहती हैं जिनमें नियमों के अनुसार संबंधित राज्‍य / संघ राज्‍य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा कार्रवाई की जाती है । विकास प्रयोजनों के लिए पेड़ काटने की अनुमति संबंधित राज्‍य / संघ राज्‍य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा समुचित प्रक्रिया का अनुपालन करके प्रदान की जाती है । अवसंरचनात्‍मक परियोजनाओं के लिए काटे गए पेड़ों की संख्‍या की सूचना मंत्रालय के स्‍तर पर संकलित नहीं की जाती ।

(ग)और(घ) इस प्रकार की कोई सूचना मंत्रालय में प्राप्‍त नहीं हुई है । तथापि, जिन मामलों में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनेतर प्रयोजनों के लिए वन क्षेत्रों का अपवर्तन शामिल होता है तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी की गई पर्यावरण प्रभाव मूल्‍यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरणीय स्‍वीकृतियां अपेक्षित होती हैं, उनमें सामान्‍यत: परियोजना विशिष्‍ट अध्‍ययन कराए जाते हैं । इन अध्‍ययनों में पारियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाता है और उपशमन के उपाय सुझाए जाते हैं ।

\*\*\*\*\*